झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, ताला मराण्डी एवं प्रो0 जय प्रकाश वर्मा स0वि0स0	गढ़वा जिला में शिक्षक नियुक्ति में गैरपारा निम्नलिखित लोगों 1-ओहमति पुनम टोप्पो, 2-राजधन टोप्पो, 3-अनिता कुमारी, 4-मिथलेश राम, 5- शशी कुमार, 6- आनन्द प्रकाश मिंज, 7-ओमप्रकाश सिंह, 8- जयंती कुमारी, 9- पुष्पा कुमारी, 10- वरुण कुमार की नियुक्ति पारा कोटे के तहत की गई है, जबकि वर्णित अभ्यर्थीयों ने गैरपारा में नियुक्ति हेतू आवेदन किया था एवं इनका मेधा सूची भी गैरपारा में बनाई गई थी किन्तु अभ्यर्थियों के बिना आवेदन या राय लिए ही पदाधिकारियों के द्वारा इनकी नियुक्ति पारा कोटे में कर दी गई जो पिछले 15 माह से शिक्षण कार्य में कार्यरत है, उपरोक्त वर्णित सभी शिक्षक इस नियुक्ति के पूर्व कहीं न कहीं सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत थे। लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध बताते हुए कार्यमुक्त करने की धमकी लगातार दी जा रही है, अभी तक इनको वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनके सामने भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। अतः उपरोक्त वर्णित कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति को बरकरार रखते हुए एवं लम्बित वेतन भुगतान कराते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0	कार्मिक विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 8/ नीति- 01/2015 का0-1011/ राँची, दिनांक- 03.02.2016 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियमावली 2016 में जो सेवाओं का वर्गीकरण है उसके अनुसार ग्रेड वेतन 1800 वेतनमान 5200-20200 को ग्रुप "ग" में वर्गीकृत तो कर दिया गया है परन्तु इस ग्रेड वेतन में कार्यरत कर्मियों को अभी तक ग्रुप "ग" का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में 17.08.2015 को हुई प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक में तत्कालीन सभापति द्वारा भी इस ग्रेड वेतन में कार्य करने वाले कर्मियों को इनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए योग्यताधारी को एकमुश्त प्रोन्नत घोषित करने की अनुशंसा भी की गयी थी। अतः राज्य सरकार के ग्रेड वेतन 1800 वेतनमान-5200-20200 में कार्यरत कर्मियों की योग्यता एवं सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए ग्रुप "ग" में एकमुश्त प्रोन्नत घोषित करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
03-	सर्वश्री प्रकाश राम, देवेन्द्र सिंह एवं श्री हरिकृष्ण सिंह स0वि0स0	एफ0सी0आई0 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में धान अधिप्राप्ति धान क्रय केन्द्र हेतु लातेहार जिला के नौ प्रखण्डों में सिर्फ पाँच प्रखण्ड में 11 धान क्रय केन्द्र के स्थान पर सात धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोला गया है किन्तु खोले गये केन्द्रों में भी एफ0सी0आई0 के तकनीकी कर्मी नहीं होने के कारण धान क्रय का कार्य बाधित है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषकों का निबंधन फार्म की डाटा इंट्री का कार्य भी अत्यंत धीमी गति से कराई जा रही है। अब तक इन्हें उपलब्ध कराये गये कुल 2600 आवेदन में से मात्र 600 आवेदनों की इंट्री कराई गई है, कृषकों को एस0एम0एस0 से सूचना दिये जाने का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय उपायुक्त एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा सहायक गोदाम प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पलामू से पूछने पर कहा गया	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

क्0पृ030

		कि तकनीकी कर्मी बंगाल एवं उड़िसा से आये है। इस बाबत उपायुक्त, लातेहार द्वारा पत्रांक–15/गो0 लातेहार दिनांक– 04 जनवरी, 2017 सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को पत्राचार भी की गई है, परन्तु कार्रवाई से वंचित है। ऐसी परिस्थिति में सरकार की धान खरीद जैसी जनोपयोगी योजना का लाभ लातेहार के कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। अतः लातेहार में धान क्रय हेतु बचे अन्य प्रखण्डों में भी यथा बारीयातू, हेरहंज, गारू, महुआडांड़ में धान क्रय केन्द्र खोलते हुए एवं चयनित एफ0सी0आई0 कर्मी को अविलंब प्रतिनियुक्त कर, यथाशीघ्र सभी कृषकों का निबंधन कर धान क्रय की प्रक्रिया अविलंब सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।

राँची,
दिनांक– 28 जनवरी, 2017 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–...1042.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 27/01/2017

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–...1042.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 27/01/2017

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

27.01.17

सुभाष/–